

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ  
संख्या 446 / स०उ०शि०प०/20  
दिनांक 29-12-2016

सेवा में,

1. कुलपति,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

विषय: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य निर्धारण, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय/ प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा अनावर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानकों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्सन/सीटों की वृद्धि किये जाने आदि के संबंध में नये मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या-3075/सत्र-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 27-09-2002 एवं शासनादेश संख्या-3411/सत्र-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 11-10-2002 एवं शासनादेश संख्या-585मु०मं०/सत्र-2-2005-2(166)/2002 दिनांक 21-10-2005 एवं शासनादेश संख्या-743 मु०मं०/सत्र-2-2006-2(166)/2002 दिनांक 07-11-2006 द्वारा किया गया है।  
2- मानकों के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-585मु०मं०/सत्र-2-2005-2(166)/2002 दिनांक 21-10-2005 के प्रस्तर-2(1)(ग)(छ) एवं (ज) में

कमलेश  
R-7  
29/12/16

विद्यमान व्यवस्था के कारण शहरी क्षेत्र में पूर्व से स्थापित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने में हो रही कठिनाई तथा विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भूमि को महाविद्यालयों को विधितः स्थानान्तरित करने में भी हो रही कठिनाई के दृष्टिगत शासनादेश संख्या- संख्या-585मु0मं0/सतर-2-2005-2(166)/ 2002 दिनांक 21-10-2005 के प्रस्तर-2(1)(ग)(छ) एवं (ज) में विद्यमान प्राविधान जो कि स्तम्भ-1 में उल्लिखित है, को स्तम्भ-2 के अनुसार संशोधित करते हुए एतद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
(ग) ऐसे विकास प्राधिकरण जहाँ नगरपालिका परिषद् स्थित है, वहाँ के प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड में स्थापित होने वाले महाविद्यालय/संस्थान हेतु नगरपालिका (परिषद्) क्षेत्र के लिये निर्धारित भूमि के मानक लागू होंगे।	(ग) ऐसे विकास प्राधिकरण जहाँ नगरपालिका परिषद् स्थित है, वहाँ के प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड में स्थापित होने वाले महाविद्यालय/संस्थान हेतु नगरपालिका (परिषद्) क्षेत्र के लिये निर्धारित भूमि के मानक लागू होंगे।  ग(1) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों/ विकास प्राधिकरणों/सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न ट्रस्ट/निकाय/समितियों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु आवंटित की गयी भूमि पर महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनापत्ति /सम्बद्धता प्रदान करने के लिये उक्त भूमि को महाविद्यालय के नाम अन्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह कि ट्रस्ट/निकाय /समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा।
(छ) किसी नये पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव के समय सम्बन्धित ट्रस्ट/निकाय के नाम भूमि अनिवार्य रूप से होगी। राजस्व अधिकारी के रूप में खतौनी तहसीलदार द्वारा सत्यापित होगी तथा प्रस्ताव के साथ खतौनी की मूलप्रति शासन को संदर्भित की जायेगी।	(छ) किसी नये पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर भूमि से सम्बन्धित अभिलेख की आवश्यकता नहीं होगी। नये पाठ्यक्रम के प्रस्ताव के साथ आवेदक को महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि महाविद्यालय प्रारम्भ करते समय उपलब्ध भूमि वर्तमान में भी उपलब्ध है, और उसी भूमि पर नया पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा।

<p>(ज) मानकानुसार अपेक्षित भूमि प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित होने पर ही सम्बद्धता के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। पैत्रिक संस्था अपने नाम की भूमि को 30 वर्ष के पट्टे पर महाविद्यालय को विधितः अन्तरित कर सकती है किन्तु 30 वर्ष से कम के पट्टे को मान्य नहीं किया जायेगा।</p>	<p>(ज) मानकानुसार अपेक्षित भूमि प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित होने पर ही सम्बद्धता के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। पैत्रिक संस्था अपने नाम की भूमि को 30 वर्ष के पट्टे पर महाविद्यालय को विधितः अन्तरित कर सकती है किन्तु 30 वर्ष से कम के पट्टे को मान्य नहीं किया जायेगा। यह प्राविधान शासनादेश दिनांक 21-10-2005 के पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता के प्रस्ताव पर लागू नहीं होगा।</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-585मु0मं0/सत्तर-2-2005-2(166)/2002 दिनांक 21-10-2005 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

4- आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा उक्त आदेशो का पूर्णतया अनुपालन किया जाय।

भवदीय,

( जितेन्द्र कुमार )  
प्रमुख सचिव।

संख्या-23/2016/772(1)/सत्तर-2-2016 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (3) समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (5) उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
मधु जोशी  
( मधु जोशी )  
विशेष सचिव।